



2026:AHC:17540

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 883 वर्ष 2026

छतरपाल सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : इरफान अहमद मलिक

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इरफान अहमद मलिक और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालविया की बात सुनी।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय ने कहा है कि उन्हें सभी निर्देश भलीभांति प्राप्त हैं और वे प्रकरण की पैरवी करने में सक्षम हैं। वे कोई प्रतिवाद दाखिल नहीं करना चाहते और निवेदन करते हैं कि याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का कहना है कि वे 28.02.2023 को उप-निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या 2, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा दिनांक 27.08.2022 और 18.04.2023 को पारित आदेशों के माध्यम से उनका वेतनमान पुनः निर्धारित किया गया है और वसूली का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का प्रकरण नहीं है।
5. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि चुनौती दिए गए आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता को सूचना दिया गया था, लेकिन उनके अनुसार, नियोक्ता के लिए की गई त्रुटि को सुधारना हमेशा खुला रहता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मैंने बार में दिए गए सभी तर्कों को सुना है और अभिलेख का ध्यान से अध्ययन किया है।
7. स्पष्टतः, प्रतिपक्षी संख्या 2, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा दिनांक 27.08.2022 और 18.04.2023 को पारित आदेशों से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को इस संबंध में कोई सूचना दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य; (1994) 6 एससीसी 154** में निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

“3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, इस पर कोई विवाद नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जो 18.12.1970 से पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन कम करने से पहले उसे सूचना भी नहीं दिया गया था और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, कानून के किसी भी ज्ञात प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई के भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी को नागरिक परिणामों का सामना करना पड़े, संबंधित व्यक्ति को सूचना दिए बिना और उसे प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो दिनांक 25.7.1991 का आदेश (जापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से मान्य नहीं हो सकता और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने में गलती की है। न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और दिनांक 17.9.1993 के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के साथ-साथ दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (जापन) को भी रद्द करते हैं, जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।”

8. चूंकि चुनौती दिए गए आदेश के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को सूचना दिया गया था, इसलिए इस न्यायालय के पास आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

9. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) प्रतिपक्षी संख्या 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा दिनांक 27.08.2022 और 18.04.2023 को पारित आदेश रद्द किए जाते हैं।

(ख) प्रकरण को नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेजा जाए।

10. शीघ्र निस्तारण की सुविधा के लिए, संबंधित पक्ष को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत निवेदन प्रस्तुत करना होगा, संबंधित प्राधिकारी उक्त कार्यवाही का शीघ्र से शीघ्र निर्णय करेगा। इसके बाद प्राधिकारी याचिकाकर्ता को सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए सूचित करेगा और यदि कोई जानकारी आवश्यक हो, तो याचिकाकर्ता आवेदन के माध्यम से उसे प्रस्तुत करेगा तथा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित किया जाएगा।

11. पूर्व टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

27 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)